[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 03/2020- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2020

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:–

1. उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I - 5% में, क्रम सं. 187 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख. अनुसूची II - 12% में,-

(i) क्रम सं. 75 और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जायेगा, यथाः-

"75अ	3605 00 10	सभी माल";

(ii) क्रम सं. 202 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(iii) क्रम सं. 203 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ग. अनुसूची III – 18% में,-

(i) क्रम सं. 73 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(ii) क्रम सं. 379 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सभी माल" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से लागू होगी।

[फा.सं. 354/34/2020-टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2020- एकीकृत कर (दर), दिनांक 21 फरवरी 2020, जिसे सा.का.नि 135 (अ.) दिनांक 21 फरवरी 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।